सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 377 राँची, गुरुवार, 11 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

15 मई, 2025

विषयः- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (**PM-JANMAN**) के तहत राज्यान्तर्गत **Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG)** बहुल क्षेत्रों में 275 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इन में भवन निर्माण की स्वीकृति ।

ज्ञापांक : - 05/म.स./PVTG-AWC-232/2023-1432—राज्य अन्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं,धातृ माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की आँगनबाड़ी सेवाएँ यथा-(i)पूरकपोषाहार(ii)प्रतिरक्षीकरण(iii) पोषण एवं स्वास्थय शिक्षा(iv) सन्दर्भ सेवाएँ(v) पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं (vi) स्वास्थय जाँच की सेवाऐं उपलब्ध करायी जाती है ।

विभागीय संकल्पांक-949,दिनांक-02.07.2009 तथा संकल्पांक-1238,दिनांक-07.06.2024 के प्रावधानों के तहत राज्यान्तर्गत सम्प्रति 38,523 आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनके माध्यम से उपर्युक्त सेवाएँ निर्बाध रूप से लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं । इन केन्द्रों में से 91 आँगनबाड़ी केन्द्र विभागीय संकल्पांक-1238,दिनांक-07.06.2024 के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (**PM-JANMAN**) के तहत ही नवसृजित हैं।

2. उपर्युक्त केन्द्रों का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार के दिशा - निर्देशांक-11/4/2021-CD-I (e-95706) दिनांक-01.08.2022 के अनुरूप तथा विभागीय संकल्पांक-2147,दिनांक-31.07.2023 के प्रावधानानुसार किया जा रहा है । इन मदों पर व्यय वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60: 40 अनुपात में निर्धारित है ।

3. विभागीय अधिसूचनांक-2239,दिनांक-30.09.2022 के माध्यम से झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) नियमावली,2022 गठित है । इसके प्रावधानों के तहत् आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रदाय कार्य सुविधाओं में राज्यमद से अतिरिक्त मानदेय,इसमें वार्षिक वृद्धि तथा सामूहिक बीमा का भुगतान सम्मिलित हैं ।

4. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (**PM-JANMAN**) कार्यान्वित कराई जा रही है । एतद्के अभिसरण में मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का संचालन कराने संबंधी मार्ग निर्देश निर्गत है । उक्त के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशांक-CD-I-11/13/2023-CD-I दिनांक-29.12.2023एवं संलग्न दिशा-निर्देशांक-CD-I-11/13/2023-CD-I दिनांक-14.12.2023 सहित अन्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से **Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG)** बहुल क्षेत्रों के लिए निम्न निर्देश निर्गत हैं:-

i. पूर्व के निर्गत आबादी मापदंड को संशोधित करते हुए 100 की जनसंख्या वाले पोषक क्षेत्र में एक आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किया जायेगा;

ii. इन केन्द्रों का संचालन के लिए आवर्त्ती व्यय (स्थापना/प्रशासनिक/केन्द्र संचालन व्यय) केन्द्रांश एवं राज्यांश के वर्त्तमान अनुपात में किया जायेगा;

iii. स्व-भवन निर्माण होने तक इन केन्द्रों का संचालन किराया के भवन में किया जायेगा;

iv. इन केन्द्रों के लिए भवन निर्माण रू०-12.00 लाख प्रति केन्द्र की दर पर कराये जायेंगे एवं इस पर आगत व्यय वहन शत्-प्रतिशत्(100%) केन्द्रांश राशि से किया जायेगा;

v. **PM-JANMAN** के तहत् इन केन्द्रों के लिए विमुक्त केन्द्रांश राशि SNA मापदंडों के अनुरूप व्ययित होगी एवं एतद्हेतु Separate SLS सृजित कराये जायेंगे;

5.उपर्युक्त के आलोक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा पत्रांक-CD-I- 11/13/2023-CD-I,दिनांक-10.12.2024 के माध्यम से राज्य में 275 आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6.आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड के पत्रांक-680(अनु०),दिनांक-12.06.2024 के माध्यम से निर्माण संबंधी कराये जानेवाले कार्यों की संक्षिप्त विवरणी सहित मानक प्राक्कलन (ड्रॉइंग सहित) प्रशासी विभाग द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसमें रू०-11.663 लाख प्रति केन्द्र भवन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। एतद्प्राक्कलन में हॉल,लॉबी क्षेत्र,ए०एन०सी० कमरा,स्टोर रूम,रसोई,बरामदा,शौचालय,लीचपिट,रैंप,प्लेटफॉर्म इत्यादि संबंधी निर्माण/अधिष्ठापन प्राक्कलित है।

7. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक्विचारोपरांत निम्नवत्स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

i. राज्य के PVTG बहुल विभिन्न पोषक क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार के पत्रांक-CD-I- 11/13/2023-CD-I,दिनांक-10.12.2024 के स्वीकृति अनुरूप कुल 275 आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ii. इन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रत्येक केन्द्र एक आँगनबाड़ी सेविका एवं एक आँगनबाड़ी सहायिका का चयन किया जायेगा । इन केन्द्रों में आँगनबाड़ी सेवाएँ वितरण का दायित्व इन कर्मियों द्वारा वहन किया जायेगा ।

इन कर्मियों को चयन,मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) नियमावली,2022 एवं समय-समय पर यथा संशोधित राज्यादेशों के अनुरूप प्रदत्त होंगे।

iii. इन केन्द्रों में भवन निर्माण होने तक इनका संचालन किराया के भवनों में प्रावधानित व्यय दर पर कराया जायेगा ।

iv. इन केन्द्रों का संचालन आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन संबंधी सम्प्रति प्रवृत्त राज्यादेशों के प्रावधानानुसार किया जायेगा । इन केन्द्रों के संचालन में PM-JANMAN तथा केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अभिसरण में कार्यान्वयन संबंधी निर्गत दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

v. इन केन्द्रों के संचालन पर विभिन्न मदों (केन्द्र भवन निर्माण छोड़कर) पर आगत व्यय वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60:40 में किया जायेगा।

vi. योजनान्तर्गत उपर्युक्त 275 आँगनबाड़ी केन्द्रों में केन्द्र भवन निर्माण ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-680(अनु०),दिनांक-12.06.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये रू०-11.663 लाख प्रति केन्द्र भवन की तकनीकी प्रदत्त स्वीकृति के मानक प्राक्कलन (ड्राँइंग सहित) के आधार पर किया जायेगा।

एतद्पर शत्प्रतिशत्व्यय वहन केन्द्रीय अंशदान से किया जायेगा।

8.इन केन्द्रों के स्थापना,संचालन,भवन निर्माण एवं तत्पर व्यय संबंधी कार्रवाई समय-समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।

9. उपर्युक्त केन्द्रों के संचालन पर निम्नवत्व्यय संभावित है:-

क) प्रतिवर्ष केन्द्रांश मद में रू०-147.154 लाख,राज्यांश मद में रू०-98.102 लाख एवं शत्प्रतिशत्राज्य मद में रू०-324.50 लाख अर्थात कुल रू०-569.756 लाख का आवर्त्ती व्यय;

ख) प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि में केन्द्रांश मद में रू०-757.220 लाख,राज्यांश मद में रू०-504.810 लाख एवं शत्प्रतिशत्राज्य मद में रू०-1622.50 लाख अर्थात कुल रू०-2884.530 लाख का व्यय (आवर्त्ती एवं अनावर्त्ती सहित) ;

ग) आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पर एक बारीय व्यय के रूप में शत्प्रतिशत्केन्द्रांश रू०-3207.325 लाख का व्यय।

(राशि लाख रू० में)

क्र०	मद	केन्द्र प्रायोजित योजना मद से		राज्य योजना मद से	कुल
		केन्द्रांश	राज्यांश		
1	प्रति वर्ष व्यय (आवर्त्ती व्यय)(60:40)	147.154	98.102	324.500	569.756
2	प्रत्येक पाँच वर्ष में अनावर्त्ती व्यय (किट्स/उपस्कर/फर्नीचर पर व्यय) (60:40)	21.450	14.300	0.000	35.750
	प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि में कुल व्यय ***Sl.1*5+ Sl.2***	757.220	504.810	1622.500	2884.530
3	एकबारी यव्यय				
	भवन निर्माण पर (100%केन्द्रांश)	3207.325	0.000	0.000	3207.325

10. उपर्युक्त व्यय वहन हेतु चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में निधि की उपलब्धता एवं उक्त के विकलन हेतु बजटीय शीर्षों संबंधी विस्तृत विवरण परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

11. एतद्संबंधी पूर्व के राज्यादेश इस हद तक संशोधित होंगे । एतद्संबंधी प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथिसे प्रभावी होंगे।

12. एतद्पर राज्य मंत्रिपरिषद्की दिनांक-08.05.2025 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

परिशिष्ट-।

विकलनीय शीर्षों एवं उपबंधित निधियों की विवरणी

(राशि लाख रू० में)

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>शीर्ष</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>समेकित बाल विकास योजना)224बाल विकास परियोजनाओं एवं 20जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए(</td><td rowspan="2"><table><tr><td>केन्द्रांश</td><td>24164.40</td></tr><tr><td>राज्यांश</td><td>16109.61</td></tr><tr><td>कुल</td><td>40274.01</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>माँग सं०-60 के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के -

-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (क)2235-णसामाजिक सुरक्षा तथा कल्या, उपमुख्य शीर्ष-02 समाज-कल्याण, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-, उपशीर्ष-51/समेकित बाल विकास योजना)224 बाल विकास परियोजनाओं एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए (;

)ख-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उपशीर्ष-51/समेकित बाल विकास योजना)224 बाल विकास परियोजनाओं एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए।(</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पी०वी०टी०जी० क्षेत्रों में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना</td><td rowspan="2"><table><tr><td>केन्द्रांश</td><td>3300.00</td></tr><tr><td>राज्यांश</td><td>0.00</td></tr><tr><td>कुल</td><td>3300.00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>माँग सं०-60 के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के -
क-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02समाज कल्याण-, लघु शीर्ष-796जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-, उपशीर्ष-91क्षेत्रों में ०जी०टी०वी०पी/ आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना;
-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष (ख)4235सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-, उपमुख्य शीर्ष-02समाज कल्याण-, लघु शीर्ष-102बाल कल्याण-, उपशीर्ष-91क्षेत्रों में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर् ०जी०टी०वी०पी/माण योजना।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बीमा सुरक्षा योजना अन्तर्गत</td><td rowspan="2"><table><tr><td>केन्द्रांश</td><td>186.00</td></tr><tr><td>राज्यांश</td><td>124.00</td></tr><tr><td>कुल</td><td>310.00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>माँग सं०-60 के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के -
-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (क)2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02 समाज-कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष -BJ/ बीमा सुरक्षा योजना।;
-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (ख)2235सामाजिक -सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02समाज कल्याण-, लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण, उपशीर्ष- BJ/बीमा सुरक्षा योजना।</td></tr>
</table>

4.	आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं संचालन योजना	राज्यमद रू०-52856.53लाख
	माँग सं०-60 के राज्य मद के - -बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (क)2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02समाज कल्याण-, लघु शीर्ष-796पयोजनाजनजातीय क्षेत्रीय उ-, उपशीर्ष -BK/आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं संचालन योजना; -बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -अन्य क्षेत्रीय उपयोजना (ख)2235सामाजिक -सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02समाज कल्याण-, लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण, उपशीर्ष-BJ/आँगनबाड़ी सेविकाओंकाओं को सहायि/अतिरिक्त मानदेय योजना।	

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 377 - 50